Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

हुमानी आदि बनाम मदनलाल आदि

अन्तर्गत धारा :–धारा 188,88,53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– 501 /2023

राजस्व विविध संख्या :– 292 /2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
13.12.2023 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री गुरमेल सिह ढिल्लो अधिवक्ता** द्वारा अन्तर्गत धारा 188,88,53 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। वाद–पत्र के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट. शीर्षक **हुमानी आदि बनाम मदनलाल आदि** प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09.01.2024 को पेश हो। Divya	सम्मन जारी किए [illegible]
9/1/24 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 26/5/24 को पेश हो	
26/5/24 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 22.7.24 को वास्ते प्रथानुसार पेश हो।	
20.05.2024:–आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादीगण का आपस मे गांव के मौजुद व्यक्तियो मे राजीनामा हो गया। इसलिए वादी अब इस दावा को नही चलाना चाहते। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज [illegible] फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन [illegible] अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अंगुठा/हस्ताक्षर [illegible] गयें। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सि[illegible] द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो। Divya	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.24 21:03:14 IST
Reason: SelfAttested